वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
संख्याः 225/व.ग्रा.वि.शा./2002
देहरादूनः दिनांकः 6 जून, 2002

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरांचल.

विषयः विधायक निधि से निर्मित कार्य.

उपरोक्त विषयक शासन के आदेश संख्या 165/व.ग्रा.वि.शा./2002 दिनांक 3, मई 2002 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या 1898/व.ग्रा.वि.शा./रा.स./2002 दिनांक 22.03.2002 के पैरा 4 में आंशिक संशोधन करते हुए, "आंशिक" शब्द को हटा दिया गया था.

उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विधायकनिधि के मार्ग निर्देश 3.9 के अनुसार यदि उक्त पैरा के अनुसार नियमितरूप से अभिज्ञापित कार्य भी अनारम्भ है तो तत्काल प्रभाव से कार्य आरम्भ करते हुए कार्य पूर्ण होने की सूचना से शासन को अवगत कराये.

संजीव चोपड़ा
सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 225/व.ग्रा.वि.शा./2002 तद् दिनांक

प्रतिलिपि – आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज, निदेशालय पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संजीव चोपड़ा
सचिव